कार्यालय :– म0प्र0 राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित
सहकार भवन नार्थ टी0टी0 नगर, भोपाल

किराये पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु शर्तें

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल को संघ के स्थानीय कार्य अथवा भोपाल से बाहर संघ कार्य से अधिकृत ट्रेवल एजेन्सियों से किराये के डीजल वाहन की मासिक दर पर आवश्यकता है। इस हेतु उक्त वाहन की दरें डीजल सहित आमंत्रित की जाती है। वाहन निम्नानुसार अपेक्षित मापदण्डों के तहत संधारित और अच्छी स्थिति में होनी चाहिये।

01. वाहन अच्छी कन्डीशन की होना चाहिये तथा वाहन का पंजीयन दिनांक 01 जुलाई, 2018 अथवा इसके बाद का होना चाहिये। वाहन टेक्सी कोटे में विधिवत् रजिस्टर्ड हो।
02. वाहन के साथ ड्रायवर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा तथा वाहन ड्रायवर के पास वाहन चलाने का कम से कम 3 वर्ष पुराना वैद्य ड्राइविंग लायसेंस होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वाहन चालक के पास मोबाईल सुविधा भी अनिवार्य रूप से हो।
03. वाहन प्रदाता के ड्रायवर को वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन एवं ड्रायविंग लायसेंस इत्यादि से संबंधित कागजात हमेशा वाहन में रखना आवश्यक होगा। वाहन पूर्ण रूप से टैक्स पेड एवं वाहन प्रदाता के स्वामित्व का हो। किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन प्रदाता पूर्ण उत्तरदायी होगा तथा समस्त हर्जा–खर्चा वहन करेगा।
04. किराये की अवधि में वाहन के संधारण सहित टूट–फूट, बैटरी, टायर – ट्यूब आदि पर हुए व्यय की संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी।
05. यात्रा के दौरान सुदूर स्थानों में भी वाहन ले जाया जा सकेगा और वाहन के ड्रायवर को उपयोगकर्ता अधिकारी के आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा।
06. वाहन सेल्फ स्टार्ट हो। वाहन में अच्छी स्टेपनी अनिवार्य रूप से तथा टायर–ट्यूब अच्छी स्थिति में हो। वाहन का माईलो मीटर हमेशा चालू हालत में रहना चाहिये।
07. वाहन संचालन में किसी प्रकार के विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तर दायित्व वाहन प्रदाता को होगा एवं यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी भी वाहन प्रदाता की होगी।
08. वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोग करने वाली अधिकारी से प्रतिदिन मीटर रीडिंग के अनुसार की गई यात्रा का प्रमाणीकरण प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा।
09. वाहन वास्तविक कि.मी. चालन के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा।

10. माईलो मीटर की खराबी अथवा अन्य किसी कारण से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शाये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा सड़क मार्ग की निर्धारित दूरी अनुसार ही देयक मान्य किया जायेगा।
11. निविदा जमा करते समय धरोहर राशि रू. 10,000/– का बैंक ड्राफ्ट मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल के नाम से देय कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा अथवा निविदा मान्य नहीं की जायेगी। धरोहर राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
12. आवेदन में नाम एवं पता स्पष्ट शब्दों में एवं टेलीफोन/मोबाईल नम्बर लिखा होना चाहिये।
13. वाहन हेतु निष्पादित अनुबंध समाप्त करने का पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा।
14. निविदा द्वारा मान्य दरें अनुबंध दिनांक से आगामी 1 वर्ष के लिये लागू रहेंगी एवं विभिन्न शर्तों के अधीन अनुबंध करना होगा तथा सेवायें संतोषप्रद होने की स्थिति में अनुबंध एक वर्ष के लिये आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।
15. वाहन को मुख्यालय से बाहर ले जाते समय यदि कोई टोल टेक्स/पार्किंग का भुगतान किया जाता है तो उसका भुगतान म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्या. भोपाल द्वारा किया जायेगा।
16 वाहन प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत देयक पर म.प्र. शासन के नियमानुसार टी.डी.एस. जी.एस.टी. की कटौती भुगतान के समय की जायेगी तथा वाहन प्रदाता को आयकर रिर्टन की कापी तथा पेन नम्बर कार्यालय में जमा कराना होगा।
17. फर्म द्वारा यदि अन्य किसी विभागों में पूर्व में कार्य किया गया है तो उसका प्रमाण सहित उल्लेख किया जावे।
18. वाहन मालिक द्वारा लिफाफा एक में प्रपत्र –1 व लिफाफा –दो में प्रपत्र –2 प्रस्तुत करना होगा।
19. जिस फर्म/वाहन मालिक द्वारा लिफाफा –एक की पूर्ति की जायेगी उसी निविदाकार का दर संबंधी लिफाफा – दो मान्य होगा। लिफाफा – एक की पूर्ति नहीं करने वाली फर्म का दर संबंधी लिफाफा – दो मान्य नहीं किया जायेगा। उसे बिना खोले ही वापिस कर दिया जायेगा।
20. यह कि मासिक आधार पर वाहन खराब या अनुपलब्ध होने की स्थिति में वाहन प्रदाता को दो घंटे के अंदर दूसरा वाहन उपलब्ध करना होगा। वाहन को खराब होने के स्थान से लाये जाने का दायित्व वाहन प्रदाता का होगा। संघ की मांग अनुसार वाहन उपलब्ध नहीं होने पर वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत अन्य किसी ऐजेन्सी से वाहन किराये पर लेने पर अतिरिक्त व्यय अनुबंधित ऐजेन्सी से वसूल किया जायेगा।
21. उपलब्ध कराये वाहन की किलोमीटर की रीडिंग एवं समय गैरेज टू गैरेज होगा।

22. वाहन मालिक द्वारा प्रतिमाह टैक्सी कार भाडे का बिल प्रस्तुत करना होगा एवं बिल हर माह की 10 तारीख के अंदर देय होगा। भुगतान के विलम्ब के लिये कोई ब्याज देय नहीं होगा।
23. मोटर व्हीकल एक्ट में वर्णित समस्त प्रावधानों का पालन करना वाहन मालिक की जिम्मेदारी होगी।
24. आवश्यकता अनुसार गाडी भोपाल शहर व बाहर किसी भी समय कही भी भेजी जा सकती है।
25. निविदा स्वीकार करने/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल का होगा। यह निर्णय अन्तिम एवं बंधनकारी होगा।

प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ
मर्यादित, भोपाल

कार्यालय :– म0प्र0 राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित
सहकार भवन नार्थ टी0टी0 नगर, भोपाल

प्रपत्र –एक
(लिफाफा नं. 1 में रखें)

वाहन दर निविदा प्रपत्र

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ के विभिन्न निर्माण कार्यों के तकनीकी पर्यवेक्षण व अन्य कार्यालयीन कार्य/उपयोग के लिये ट्रेवल एजेन्सियों से आवश्यकतानुसार भोपाल स्थानीय तथा भोपाल से बाहर आने जाने हेतु मांग आधार (कॉल बेसिस) पर निविदा दिनांक से एक वर्ष हेतु वाहन किराये से लिये जाने हेतु डीजल सहित डीजल वाहनों यथा इनोवा(crista) बुलेरो (न्यू मॉडल),टोयोटा (ETIOS), स्विफ्ट डिजायर डीजल चलित वाहन का प्रपत्र –

<table>
<tr><td>01.</td><td>फर्म/ट्रेवल एजेन्सी का नाम</td><td></td></tr>
<tr><td>02.</td><td>फर्म /ट्रेवल ऐजेन्सी का पंजीकृत</td><td></td></tr>
<tr><td>03.</td><td>दूरभाष व मोबाईल नंबर</td><td></td></tr>
<tr><td>04.</td><td>फर्म/एजेन्सी के रजिस्टर्ड/अनुबंधित वाहनों का विवरण</td><td>
<table>
<tr><td>क्र.</td><td>वाहन पंजी. क्र.
1 जनवरी, 2018 के पश्चात का टेक्सी कोटे में होना चाहिए</td><td>प्रकार</td><td>मॉडल
वर्ष
पेट्रोल/डीजल</td></tr>
<tr><td>01</td><td></td><td>इनोवा
(crista)</td><td></td></tr>
<tr><td>02.</td><td></td><td>बुलेरो
(न्यू मॉडल)</td><td></td></tr>
<tr><td>03.</td><td></td><td>स्विफ्ट
डिजायर</td><td></td></tr>
<tr><td>04.</td><td></td><td>टोयोटा
(ETIOS)</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>05.</td><td>धरोहर राशि रू. 10,000/– मात्र के बैंक ड्राफ्ट जो कि म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्या. भोपाल के नाम से देय होगा। आवेदन के साथ जमा करना होगा।</td><td>बैंक का नाम :– ....
शाखा का नाम :– .... डी.
डी. क्र. :– ....
दिनांक :– ....
राशि रू. :– ....</td></tr>
<tr><td>06.</td><td>अन्य उपलब्ध वाहनों का विवरण</td><td></td></tr>
<tr><td>07.</td><td>वाहन धारक विगत दो वर्ष का आयकर रिर्टन की कापी एवं पेन नम्बर की सत्यापित फोटोप्रति संलग्न करें एवं जी.एस.टी. कर का पंजीयन क्रमांक एवं उसकी छायाप्रति संलग्न करें।</td><td></td></tr>
<tr><td>08.</td><td>वाहन की दरें संलग्न प्रपत्र –2 अनुसार लिफाफा दो में सील बंद दे।</td><td></td></tr>
</table>

उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण सत्य प्रस्तुत की गई है। मेरे द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल की निविदा शर्ते पढ़ते व समझने के पश्चात् ही प्रपत्र –दो पर दरें प्रस्तुत की जा रही है। वाहन निविदा हेतु निर्धारित नियम व शर्ते जो मुझे निविदा प्रपत्र के साथ प्राप्त हुई है, उनका एवं वाहन उपलब्ध कराते समय सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए मेरे द्वारा गुणवत्तापूर्ण वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। अनुबंध भी किसी भी कंडिका का उल्लंघन करने पर अनुबंध निरस्त कर/संस्था/फर्म की धरोहर राशि जप्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल को होगा।

फर्म/ट्रेवल एजेन्सी के अधिकृत व्यक्ति
मय मुद्रा सहित

प्रपत्र – 2 (लिफाफा नं. 2 में रखें)

निविदा दरों का प्रपत्र

(कृपया निविदा दरें निम्न प्रपत्र कॉलम में अंकित करें)

क्रमांक	डीजल वाहन का प्रकार	स्थानीय संघ की आवश्यकता होने पर मांग अनुसार टैक्सी (घण्टे की दर)								भोपाल के बाहर यात्रा पर टैक्सी दर		ड्रायवर रात्री विश्राम भत्ता
		4 घण्टे अथवा 40 कि.मी.		6 घण्टे अथवा 60 कि.मी.		8 घण्टे अथवा 80 कि.मी.		स्थानीय निर्धारित घण्टे से अधिक होने पर प्रति कि.मी. दर				
		A/C	NON A/C	A/C	NON A/C	A/C	NON A/C	A/C	NON A/C	A/C	NON A/C	
	Group -A											
01.	बुलेरो(नियो)											
02.	स्विफ्ट डिजायर											
03.	टोयोटा(ETIOS),											
	योग :–											
	Group -B											
04.	इनोवा(क्रिस्टा)											
	योग :–											

हस्ताक्षर एवं सील